(63)

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा

जमाबंदी सृजन वाद सं0 21/2020

प्रथम पक्ष

1. राजाबली मिश्र पिता स्व शोभाकांत मिश्र
2. गृजेश मिश्र पिता स्व0 कुमोद मिश्र
3. राणा कुमार मिश्र पिता स्व0 जबाहर मिश्र
4. प्राण मोहन मिश्र पिता स्व0 महानन्द मिश्र
5. पवन मिश्र पिता स्व0 दयानंद मिश्र

सभी निवासी मौजा कहरा चकले रतनपुरा थाना वो जिला – सहरसा

.....आवेदक प्रथम पक्ष

बनाम

द्वितीय पक्ष

1. अंचल अधिकारी, कहरा

..... विपक्षी प्रथम पक्ष

.....

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी सृजन वाद बिहार कास्तकारी संशोधन नियमावली–2018 के अंतर्गत आवेदकगण प्रथम पक्ष ने जमाबंदी सृजन हेतु इस न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
कहरा	195	704(पु0)	1979(पु0)	01 बीघा 3 कट्ठा 3 धूर
			1980(पु0)	01 बीघा 4 कट्ठा 15 धूर
			कुल	02 बीघा 7 कट्ठा 18 धूर

आवेदकगण का कथन है कि प्रश्नगत जमीन भूतपूर्व जमींदार बाबू बिरजु झा पे0 स्व0 बाबू राम लाल झा की खास एराजी थी, जिस पर वे हकदार एवं दखलकार रहते आए।

इनका आगे कथन है कि आवेदकगण के पूर्वज चन्द्रमणि मिश्र भूतपूर्व मालिक जमींदार के घर मंदिर में पूजा–पाठ वो खिदमत किया करते थे, जिसके दक्षिणास्वरूप निबंधित विलेख दि0 05.01.1911 से अपनी एराजी मौजा कहरा चकले रतनपुरा थाना नं0 195 तौजी नं0 4965 खाता पु0 704 खेसरा पु0 1979 वो 1980 कुल रकवा 2 बीघा 7 कट्ठा 18 धूर दिए एवं दखल कब्जा दिला दिए। उक्त एराजी को ब्रहमोत्तर घोषित किए, जो लगान से मुक्त थी।

आवेदकगण का पुनः कथन है कि चन्द्रमणि मिश्र अपने दो पुत्र कृष्णमोहन मिश्र वो रामकृष्ण मिश्र को छोड़कर तथा कृष्णमोहन मिश्र अपने पुत्र शोभाकांत मिश्र को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। इसी प्रकार शोभाकान्त मिश्र को दो पुत्र जबाहर मिश्र तथा राजाबली मिश्र हुए तथा जबाहर मिश्र भी अपने पुत्र राजा कुमार मिश्र के प्रपोत्र गृजेश मिश्र पिता स्व0 कुमोद मिश्र को छोड़कर तथा रामकृष्ण मिश्र अपने एक पुत्र भवानन्द मिश्र एवं भवानन्द मिश्र अपने दो पुत्र दयानन्द मिश्र वो

(04)

प्राणमोहन मिश्र को छोड़कर स्वर्गवासी हुए तथा उनके साथ–साथ दयानन्द मिश्र के पुत्र भी प्रस्तुत वाद के आवेदकगण हैं।

इनका पुनः कथन है कि रिविजनल सर्वे नॉट फाईनल तथा प्रश्नगत एराजी के ब्रहमोत्तर रहने के कारण अभिधारी पंजी– 2 में दर्ज नहीं रहने के कारण लगान निर्धारण नहीं हो सका था। इनका आगे कथन है कि आवेदकगण बिहार सरकार को राजस्व भुगतान जमाबंदी कायम करवाकर लगान अदा करने के लिए इच्छुक हैं। इन्होंने अनुरोध किया है कि उपरोक्त तथ्यों का विधिवत सत्यापन करवा कर आवेदकगण के नाम से लगान निर्धारण का आदेश तथा जमाबंदी कायम कर भू–लगान प्राप्त कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाय। इन्होंने अपने आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न किया है–

1. बिक्रय पत्र दि0 05.01.1911 बाबू बिरजू झा वगै0 बहक चन्द्रमणि मिश्र साथ हिन्दी रूपांतरण की छायाप्रति।
2. जमाबंदी हिस्सा नं0 1 रिटर्न।

उपरोक्त के आलोक में ज्ञापांक 82/न्या0, दिनांक 04.03.2020 से आम सूचना प्रकाशन कर प्रतिवेदन की मांग की गई। जिसके प्रकाशन के फलस्वरूप अंचल अधिकारी, कहरा ने अपने पत्रांक 683 दि0 19.06.2020 के हवाले से प्रतिवेदित किया है कि –*" संलग्न अर्जी के अनुसार आम सूचना का प्रकाशन किया गया। लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।"*

इस संबंध में आवेदक द्वारा दाखिल केवाला दस्तावेज दि0 05.01.1911 तथा मालिक जमींदार द्वारा दाखिल जमाबंदी रिटर्न का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के पूर्वज चन्द्रमणि मिश्र को दान दक्षिणा स्वरूप प्राप्त हुआ था तथा अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आम सूचना से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति नहीं दी गई। जमीन पर आवेदकगण का दखल कब्जा है परंतु जमाबंदी सृजित नहीं रहने तथा लगान निर्धारित नहीं रहने के कारण लगान निर्धारण के साथ–साथ जमाबंदी सृजन का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है तथा आवेदकगण के हक एवं दखल कब्जे की भूमि है। तदनुसार अंचलाधिकारी, कहरा को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी आवेदकगण के नाम से सृजित करना सुनिश्चित करें। साथ ही लगान निर्धारण हेतु भी समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी संभव है कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कतिपय लोगों के नाम प्रश्नगत जमीन की फर्जी जमाबंदी हल्का कर्मचारी द्वारा सृजित कर दी गई हो। यदि ऐसा है तो ऐसा फर्जी जमाबंदी स्वतः रद्द माना जायेगा। अंचलाधिकारी तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

2/9/2020

अपर समाहर्ता,
–सह–
अपर जिला दंडाधिकारी,
सहरसा

2/9/2020

अपर समाहर्ता
–सह–
अपर जिला दंडाधिकारी,
सहरसा